"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-20/गृह-दो/न.से./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17-01-2012 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-तीन के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"टीप— (1) नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है, संभागीय कार्यालयों हेतु संबंधित संभागीय सेनानी, नगर सेना तथा जिला कार्यालय हेतु संबंधित जिला सेनानी, नगर सेना. उक्त नियुक्तिकर्ता अधिकारी बस्तर एवं सरगुजा संभाग के केवल आरक्षक चालक (वाहन चालक) एवं डिस्पैच रायडर के नियुक्ति प्राधिकारी होंगे.

(2) अनुसूची-तीन में उल्लिखित आरक्षक चालक (वाहन चालक) एवं डिस्पैच रायडर (बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिये) के पदों पर चयन के लिये संबंधित संभागीय सेनानी/जिला सेनानी द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे व चयन समिति में अध्यक्ष को छोड़कर एक सदस्य अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2013

क्रमांक एफ 13-20/गृह-दो/न.से./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-20/गृह-दो/न.से./2012 दिनांक 19 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th March 2013

NOTIFICATION

No. F 13-20/Two-Home/H.G./2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Home Guard's, Class-III (Technical) Service Reruitment and Promotion Rules, 2008. This notification shall be effective from 17th January, 2012 for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,—

After Schedule-III, the following Note shall be added, namely :—

"Note—(1) "Appointing Authority" means concerned Divisional Commandant Home Guard's for the Divisional Office and concerned District commandant, Home Guard's for the District Office. Above Appointing officer will be Appointing officer only for constable Driver (Driver) and Despatch rider of Bastar and Sarguja Division.

(2) A Selection Committee shall be constituted by concerned Divisional Commandant/District Commandant for the Selection to the post of constable Driver (Driver) and Despatch rider (for the Districts within Bastar and Sarguja Division) mentioned in Schedule-III, which shall comprise of three members and one member in the selection committee, other then chairman shall representative of Scheduled Tribes/Scheduled Castes or Other Backward Classes."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
L. S. KEN, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.